

(3)

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर भू0 सं0-2335,2336,2340 व 2341 ग्राम-बिजनौर लखनऊ में मैसर्स प्रॉपलारिटी होम्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचि।।


28/12/2017
(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपि:-

1-अग्निशमन अधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।